न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 119/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय – 6th फ्लोर, प्लाट नं. 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–44 गुरूग्राम, हरियाणा जरिये प्राधिकृत अधिकारी **श्री देवेन्द्र सिहं राठौड़**

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. समान कंवर पत्नि बुद्धराज सिंह

2. महेंद्र सिंह पुत्र बुद्धराज सिंह

(1) वार्ड नं. 36, भंवर कॉलोनी, कृषिउपज मंडी के पीछे, सीकर

(2) प्लॉट नं. 28, वार्ड नं. 18, भंवर कॉलोनी, राधाकिशनपुरा, एस.एन.नम्बर–434, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 10 फरवरी, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री दिनेश कुमार सैनी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **समान कंवर पत्नि बुद्धराज सिंह एवं महेंद्र सिंह पुत्र बुद्धराज सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **समान कंवर** के स्वामित्व की बंधक **सम्पत्ति प्लॉट नं. 28, वार्ड नं. 18, भंवर कॉलोनी, राधाकिशनपुरा, एस.एन.नम्बर 434, सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 215 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं–पूरब दिशा में रास्ता, पश्चिम दिशा में प्लॉट नं. 19, उत्तर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

दिशा में प्लॉट नं. 27 एवं दक्षिण दिशा में प्लॉट नं. 29 है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹10,00,000/— (अक्षरे रूपये दस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **01.08.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **01.08.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन प्रार्थी की फोटो प्रति वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **समान कंवर पत्नि बुद्धराज सिंह एवं महेंद्र सिंह पुत्र बुद्धराज सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **समान कंवर** के स्वामित्व की बंधक **सम्पत्ति प्लॉट नं. 28, वार्ड नं. 18, भंवर कॉलोनी, राधाकिशनपुरा, एस एन नम्बर–434, सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 215 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

हैं—पूरब दिशा में रास्ता, पश्चिम दिशा में प्लॉट नं. 19, उत्तर दिशा में प्लॉट नं. 27 एवं दक्षिण दिशा में प्लॉट नं. 29 है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **10 फरवरी, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर